eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

भारतीय संविधान एवं पर्यावरण संरक्षण

डा0 अरविन्द वर्मा[1]
[2]सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी, बिहार

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Oct 2024, Published : 31 Dec 2024

Abstract

भारतीय संविधान अपने व्यापक ढांचे के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को शासन के एक बुनियादी पहलू के रूप में एकीकृत करता है। संविधान के अनुच्छेद 48 ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 51 ए जी पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य को उजागर करते है, साथ ही नागरिकों की प्राकृतिक परिवेश की रक्षा और वृद्वि करने की जिम्मेदारी भी बताते है। न्यायपलिका ने '' वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम '' बनाम '' भारत संध '' जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से '' एहतियाती और प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है '' के सिद्वान्त को शामिल करके इन संवैधानिक आदेशों को मजबूत किया है। यह एकीकरण भविष्य की पीढ़ियों के लिए सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करते हुए सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्वता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्दावली – पर्यावरण संरक्षण, संवैधानिक आदेश, सतत् विकास, न्यायिक निर्णय।

Introduction

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में वन्य जीवन को पर्याप्त महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि भारत में वन्य जीवन संरक्षण का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारे 'वेद'। वैदिक काल में एक सभ्य व्यक्ति के लिए कई नियम बताये गये थे जिनमें वन और वन्य–जीवों का संरक्षण और उनका संवर्द्धन भी सम्मिलित था। वन्य–जीवों के संरक्षण को प्रेरित करने के लिए प्राचीन भारत में अनेक वन्य जीवों को धार्मिक क्रिया–कलापों से जोड़ा दिया गया था ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुँचाए।

जैविक विकास एवं परिवर्तन वस्तुतः पर्यावरण परिवर्तन से जुड़ा है। जीवन की व्याख्या 'जीव' एवं 'वन' के अन्योन्याश्रिता पर आधारित है। मानव सभ्यता के आदिम रूप से आज के मानव रूप की विकास गाथ पूर्णतया प्राकृतिक शक्तियों एवं पर्यावरण पर आधारित रही है। यही कारण है कि मानव सभ्यता एवं जीवन का विकास प्राकृतिक शक्तियों यथा–पृथ्वी, वायु, जल, आग एवं अन्तरिक्ष के विकास एवं अस्तित्व पर निर्भर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीव संरचना (मानव शरीर) के आधारभूत तत्व को उपरोक्त पाँच तत्वों में व्यक्त किया है जो इसका पंचतत्व संरचना सिद्धान्त हैं[1]

''क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा।

पंच तत्व रचित अधम शरीरा।''

मौलिक अधिकार एंव पर्यावरण संरक्षण– भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और जिनका हकदार व्यक्ति केवल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

मानव होने के नाते है। पर्यावरण का अधिकार भी एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति का विकास और उसकी पूरी क्षमता का एहसास सभंव नहीं होगा। इस भाग के अनुच्छेद (21) (ए) (14) और (19) का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संध एआईआर 1978 एसी 59 (1) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुच्छेद (21) को समय–समय पर उदार व्याख्या मिली है। अनुच्छेद (21) जीवन के मौलिक अधिकार की गांरटी देता है। बीमारी और संक्रमण के खतरे से मुक्त पर्यावरण का अधिकार इसमे निहित है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार का महत्वपूर्ण गुण है। **संविधान के अनुच्छेद (21) के हिस्से के रूप में स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार को पहली बार ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदारी केंद्र बनाम राज्य एआईआर 1988 एसी 2187 देहरादून उत्खनन मामले के रूप में मान्यता दी गई थी। यह भारत में पर्यावरण और परिस्थितिकी संतुलन से जुड़े मुद्दों से जुड़ा अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्खनन अवैध खनन को रोकने का निर्देश दिया। एमसी मेहता बनाम भारत संध एआईआर 1987 एसी 1086** में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदुषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद (21) के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में माना। अत्यधिक शोर समाज में प्रदुषण पैदा करता है।

संविधान के अनुच्छेद (21) के साथ अनु0 (19) (1) के तहत भारत का संविधान सभ्य वातावरण के अधिकार और शांतिपूर्वक रहने के अधिकार की गांरटी देता है। पीए जैकब बनाम पुलिस अधिक्षक कोटटायम एआईआर केआर में केरल उच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 1 (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वंतंत्रता में लाउडस्पीकर या ध्वनि एम्पलीफारयरों का उपयोग करने की स्वतंत्रता षामिल नहीं है। इस प्रकार लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) (जी) प्रत्येक नागरिक को कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का मौलिक अधिकार देता है। यह उचित प्रतिबंधो के अधीन है। कोई नागरिक व्यवसायिक गतिविधि नहीं कर सकता है, अगर इससे समाज या आम जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो । इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षा उपाय इसमें निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने **कोवरजी बी0 भरूचा बनाम आबकारी आयुक्त अजमेर के वाद** में कहा कि अगर पर्यावरण संरक्षण, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच टकराव होता है तो अदालतों को किसी भी व्यवसाय को करने के मौलिक अधिकारों के साथ पर्यावरणीय हितों को संतुलित करना होगा। भारतीय संविधान के अनु0 (32) और (226) के तहत जनहित याचिका के परिणामस्वरूप पर्यावरण संबंधी मुकदमों की एक लहर चल पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किय गए प्रमुख पर्यावरणीय मामलों में देहरादून क्षेत्र में चूना पत्थर की खदानों को बंद करने का मामला, दिल्ली में क्लोरीन संयंत्र में सुरक्षा उपाय स्थापित करने का मामला आदि शामिल है। वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संध के वाद में न्यायालय ने कहा कि **एहतियाती सिद्वांत और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्वांत सतत विकास** की आवश्यक विषेशताएं है।

नीति निदेशक तत्व एवं पर्यावरण संरक्षण– इन सब चीजों को यदि भारतीय संविधान में देखें तो पाते है कि संविधान में नीति निदेशक तत्वों का अस्तित्व तो रहा किन्तु मूल कर्त्तव्यों का अस्तित्व नहीं था। मूल कर्त्तव्यों को भारतीय संविधान में ''स्वर्ण सिंह समिति'' की सिफारिश द्वारा 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

1976 के द्वारा जोड़ा गया, किन्तु निदेशक तत्वों एवं मूल कर्त्तव्यों में जो उपबन्ध पर्यावरण से सम्बन्धित है वे 1972 से सम्पन्न 'मानव पर्यावरण सम्मेलन' या 'स्टॉमहोम घोषणा' की प्रेरणा स्त्रोत रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही निदेशक तत्वों में 48(क) नामक अनुच्छेद जोड़ा गया और मूल कर्त्तव्यों में जो उपबन्ध पर्यावरण और वन्य जीवन से सम्बन्धित है, वह अनुच्छेद 51(क) (छ) में निहित है।

भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्वों का उपबन्ध करता है। ये नीति निदेशक तत्व **आयरलैण्ड** के संविधान से लिए गए है। ये नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है बल्कि इनमें वे लक्ष्य एवं उद्देश्य निहित है जिनका पालन करना राज्य का कर्त्तव्य है इनमें वे आदर्श निहित है जिन्हें प्रत्येक सरकार कानून बनाते समय और नीतियों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखेगी।

वर्ष 1976 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 की प्रतिबद्धाओं से प्रेरित होकर उन्हें लागू करने हेतु संविधान के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 48–क जोड़ा गया जो यह उपबन्ध करता है कि– ''राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।''

इस प्रकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48–क के जुड़ने के बाद भारतीय संविधान ने विश्व के उन गिने–चुने स्थानों में अपना स्थान बना लिया है जिनमें पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा के बारे में कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान है।

यद्यपि राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रवतर्नीय नहीं है किन्तु न्यायालयों का मत यह रहा है कि मूल अधिकारों की तरह इनका भी प्रवर्तन हों

सेण्ट्रल इग्लैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कार्पोनेशन बनाम ब्रिजोनाथ[2] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अप्रवर्तनीय प्रकृति इसके उल्लघंन के आधार पर विधि को अवैधानिक घोषित करने से बहिष्कृत नहीं करता है।

एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया[3] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 48–क के अधीन केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों का यह कर्त्तव्य होता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए समुचित एवं प्रभावी कदम उठाये। ऐसे कर्तव्य पालन के लिए न्यायालय समुचित आदेश दे सकता है।

टी0एन0 गोदावरम् थिरूवुलपाड बनाम भारत संघ[4] के मामले में जंगली भैंसों को समाप्त होने से बचाने के लिए अभियान तैयार करने के लिए निर्देश की माँग की रिट याचिका में राज्य सरकार का अभिवचन की जंगली भैसे के संरक्षण के लिए कोष की कमी थी, रक्षणीय अभिनिर्धारित नहीं किया गया। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि जंगल भैसों से बचाने के लिए केन्द्र द्वारा परिवर्तित योजना का पूरा प्रभाव दिया जाय। श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल[5] के वाद में माननीय उच्चतम

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब भी न्यायालय के समक्ष परिस्थितिकी से सम्बन्धित कोई समस्या प्रस्तुत की जाएगी, न्यायालय भारतीय संविधान अनुच्छेद 48–क और 51(क) (छ) को ध्यान में रखने के लिए बाध्य हैं।

किंकरी देवी बनाम स्टेट[6] के वाद में हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय ने पुनः दुहराया कि अनुच्छेद 48–क और अनुच्छेद 51(क) (छ) का दायित्व राज्य के प्रति संविधानिक निर्देश और नागरिकों का संविधानिक कर्तव्य है इसमें पर्यावरण संरक्षण को सम्मिलित नहीं बल्कि पर्यावरण सुधार तथा वन वन्य प्राणियों एवं वनस्पयितों, नदियों और झीलों तथा देश के अन्य जल संसाधनों की सुरक्षा सम्मिलित है।

इस प्रकार नीति निदेशक तत्वों में पर्यावरण को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य अपनी नीति में पर्यावरण को सम्मिलित करें और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठायें। हालाँकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है किन्तु भारतीय न्यायालयों का दृष्टिकोण विशेषयता पर्यावरण के प्रति बहुत ही उदार है और वह इनकी प्रवर्तनीयता के पक्ष में दिखता है। यदि ऐसा संभव हो सकता तो यह कदम भविष्य में पर्यावरणीय सुधारों को दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मूल कर्त्तव्य एवं पर्यावरण– वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं को लागू करने के उद्देश्य से मूल कर्त्तव्यों में पर्यावरणीय उपबन्ध को निर्धारित करने वाला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(क) (छ) जोड़ा गया जो निम्नलिखित है– ''भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि यह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमान के प्रति दया भाव रखें।''

इस प्रकार **51(क) (छ)** में पर्यावरण का अप्रत्यक्ष वर्गीकरण मिलता है जिसके अनुसार पर्यावरण में वन, झील, नदियों एवं वन्य जीवन आदि शामिल होते है जिसकी संरक्षण एवं संवर्द्धन का उपबन्ध अनुच्छेद 51(क) (छ) करता है। यद्यपि मलू कर्त्तव्यों में प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 51(क) पर्यावरण का द्योतन करता है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से मूल कर्त्तव्यों के कई भाग ऐसे है जो पर्यावरण से सम्बन्धित है। **अनुच्छेद 51(क) (छ)** में उपबन्धित है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना की विकास करें। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करते हैं तो पर्यावरण की समस्या का समाधान आसान हो जायेगा। मानववाद पोषणीय विकास की तरफ संकेत देता है यदि हम मानववाद के मूल को समझेगें तभी हम अपना विकास आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर नहीं करेंगे। ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना को हम पर्यावरण के क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना किसी विशिष्ट क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है।

अनुच्छेद 51(क) (छ) यह उपबन्ध करता है कि– ''भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू ले।''

पर्यावरण का उन्नयन व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के उत्कर्ष से ही संभव है और पर्यावरण के उन्नयन से ही राष्ट्र नई ऊँचाईयों को छू सकता है। क्योंकि अब विकास का मानक वह नहीं है जो

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

पहले था। विकास के आकलन में **पर्यावरणीय ह्रास** को पहले सम्मिलित नहीं किया जाता था इसीलिए अब **जी0डी0पी0** एवं **राष्ट्रीय आय** की जगह **ग्रीन जी0डी0पी0** की अवधारणा आयी है, इसलिए पर्यावरणीय संरक्षण से ही राष्ट्र नई उपलब्धियों को हासिल कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ–

1 उपाध्याय डॉ0 जय जय राम, पर्यावरणीय विधि, पृ0 84, 2011।
2 ए0आर0आई0 1986 सु0को0 ।
3 1988 सु0को0 ।
4 टी0एन0 गोदावरम थिरूवुडपाल बनाम भारत संघ ।
5 उपाध्याय डॉ0 जय जय राम, पर्यावरणीय विधि, पृ0 84, 2011 ।
6 उपाध्याय डॉ0 जय जय राम, पर्यावरणीय विधि, पृ0 94, 2011 ।
7 ए0आर0आई0 1986 सु0को0 ।